न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 128/2024

अनवान : –

1. लालचन्द पुत्र श्री दयाराम जाति जाट, निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा

– वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री धनाराम जाति जाट निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा।
2. विनोद पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
3. ईश्वर पुत्र श्री दयाराम, जाति जाट, निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
4. रोशनी पुत्री श्री दयाराम जाति जाट, निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
5. परमेश्वरी पत्नी दयाराम, जाति जाट, निवासी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री खेताराम कस्वां वादी
श्री श्रवण सहारण द्वितीय प्रतिवादी

दिनांक: 20/11/24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम डोभी बारानी के खाता संख्या 130/40 के मु0न0 31 के किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 37 के किला नं0 24, 25, मु0न0 38 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, मु0न0 39 के किला नं0 2, 3, 4/1, 4/2, 7 ता 14, 17/3, 17/4, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24 मु0न0 40 के किला नं0 6, मु0न0 41 के किला नं0 9, 10, 11/1 मु0न0 61 के किला नं0 1 ता 4, 10, मु0न0 62 के किला नं0 4 ता 7 कुल किता 54 की 10.9050है0 जिसमें बारानी 10.8280है0, गै0मु0 रास्ता 0.0770है0 संयुक्त व मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी दयाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:41.59 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible]ादी[illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण [illegible] 5 में आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया । राजीनामा शामिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जबाबदावा पेश किया ग[illegible]।

साक्ष्यवादी में वादी लालचंद द्वारा मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद ... वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर गनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ग्राम डोभी बारानी के खाता संख्या 130/40 के मु0न0 31 के किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 37 के किला नं0 24, 25, मु0न0 38 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, मु0न0 39 के किला नं0 2, 3, 4/1, 4/2, 7 ता 14, 17/3, 17/4, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24 मु0न0 40 के किला नं0 6, मु0न0 41 के किला नं0 9, 10, 11/1 मु0न0 61 के किला नं0 1 ता 4, 10, मु0न0 62 के किला नं0 4 ता 7 कुल किता 54 की 10.9050है0 जिसमें बारानी 10.8280है0, गै0मु0 रास्ता 0.0770है0 संयुक्त व मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी दयाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 4–5 ने उक्त वर्णित भूमि में अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में तर्क कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डोभी बारानी के खाता संख्या 130/40 के मु0न0 31 के किला नं0 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, मु0न0 37 के किला नं0 24, 25, मु0न0 38 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/2, 25/2, मु0न0 39 के किला नं0 2, 3, 4/1, 4/2, 7 ता 14, 17/3, 17/4, 18/2, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24 मु0न0 40 के किला नं0 6, मु0न0 41 के किला नं0 9, 10, 11/1 मु0न0 61 के किला नं0 1 ता 4, 10, मु0न0 62 के किला नं0 4 ता 7 कुल किता 54 की 10.9050है0 जिसमें बारानी 10.8280है0, गै0मु0 रास्ता 0.0770है0 संयुक्त व मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी दयाराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दयाराम की बजाए वादी लालचंद प्रतिवादी सं0 1 दयाराम प्रतिवादी सं0 2 विनोद तथा प्रतिवादी सं0 3 ईश्वर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना ... वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/24 को ... जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस

प्र0स0 – 128 / 2024

अन्वान : –

1 लालचन्द पुत्र श्री दयाराम जाति जाट, निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा

– वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र श्री धनाराम जाति जाट निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा।
2. विनोद पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
3. ईश्वर पुत्र श्री दयाराम, जाति जाट, निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
4. रोशनी पुत्री श्री दयाराम जाति जाट, निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
5. परमेश्वरी पत्नी दयाराम, जाति जाट, निवारी डोभी हाल गंगासिंहपुरा तहसील भादरा ।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री खेताराम कस्वा व वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण द्वितीय की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम डोभी बारानी के खाता संख्या 130 / 40 के मु0न0 31 के किला नं0 22 / 1, 22 / 2, 23 / 1, 23 / 2, 24 / 1, 24 / 2, मु0न0 37 के किला नं0 24, 25, मु0न0 38 के किला नं0 6, 15, 16, 17, 18 / 2, 19 / 2, 20 / 2, 21 / 2, 22 / 2, 23 / 2, 24 / 2, 25 / 2, मु0न0 39 के किला नं0 2, 3, 4 / 1, 4 / 2, 7 ता 14, 17 / 3, 17 / 4, 18 / 2, 19 / 2, 20 / 2, 21 / 2, 22 / 2, 23 / 2, 24 मु0न0 40 के किला नं0 6, मु0न0 41 के किला नं0 9, 10, 11 / 1 मु0न0 61 के किला नं0 1 ता 4, 10, मु0न0 62 के किला नं0 4 ता 7 कुल किता 54 की 10.9050है0 जिसमें बारानी 10.8280है0, गै0मु0 रास्ता 0.0770है0 संयुक्त व मुश्तर्का खाता की कृषि भूमि में प्रतिवादी दयाराम के नाम 1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है, में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 दयाराम की बजाए वादी लालचंद प्रतिवादी सं0 1 दयाराम प्रतिवादी सं0 2 विनोद तथा प्रतिवादी सं0 3 ईश्वर को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/11/24 .... हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:41:59 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व), R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner